


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ::

—:: संशोधन-आदेश ::—

विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/बी-2/प्रधानाचार्य/डीपीसी 17-18/2017/चतुर्थ दिनांक 16-10-2017 द्वारा प्रधानाचार्य डीपीसी 17-18 अन्तर्गत पदोन्नति पर काउन्सलिंग उपरान्त पदस्थापन आदेश जारी किये गये थे। उक्त आदेश में कार्यग्रहण दिनांक 26.10.17 (क्र.सं 13,18,22,23,28,31,33,42,43,44,50,58,61,63, 71, एवं 80 को छोड़कर शेष कार्मिकों हेतु) दी गई है। पदस्थापन संबंधी उक्त आदेश में निम्नानुसार **कॉलम संख्या-04 में अंकितानुसार आंशिक संशोधन जारी किया जाता है :-**

क्रसं	विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेशांक एवं दिनांक	नाम प्रधानाचार्य-उमावि मय पदस्थापन स्थान	आंशिक संशोधन का विवरण
14	शिविरा-माध्य/संस्था/बी-2/प्रधानाचार्य/डीपीसी 17-18/2017/चतुर्थ दिनांक 16-10-2017	श्रीमती ममता सारस्वत व्याख्याता बा.ईटावा कोटा को पदोन्नति उपरान्त प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापन राउमावि, मालबमोरी, अंता जिला बारां	कार्यग्रहण दिनांक 26.10.17 के स्थान पर 01.11.17 मानी जावे।
38	शिविरा-माध्य/संस्था/बी-2/प्रधानाचार्य/डीपीसी 17-18/2017/चतुर्थ दिनांक 16-10-2017	श्रीमती कृष्णा शर्मा प्र.अ रामावि सिरासली जयपुर को पदोन्नति उपरान्त प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापन पिपलिया खुर्द, जैतारण जिला पाली	कार्यग्रहण दिनांक 26.10.17 के स्थान पर 01.11.17 मानी जावे।


शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेगी।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

शिविरा-माध्य/संस्था/बी-2/प्रधानाचार्य/डीपीसी 17-18/2017/चतुर्थ दि.24-10-2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1 सम्बन्धित शिक्षा उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा, कोटा।
- 2 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा-कोटा/बारां।
- 3 सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष।
- 4 सम्बन्धित कार्मिक/प्र0अ0 को पालनार्थ।
- 5 रक्षित/ निजी पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर